



निविदा फार्म – आंचल अमृत योजना हेतु वाहन तकनीकी बिड (01)



फार्म संख्या- निविदा प्रपत्र मूल्य:- मु01000.00 (एक हजार) (समस्त कर सहित)

हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर (हरिद्वार) किराया वाहन हेतु

(निविदा फार्म क समस्त क्रमांको की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ-साफ अंकित करें।)

1. मार्ग का नाम :-
 2. निविदादाता का नाम :-
 3. आधार कार्ड संख्या -(छायाप्रति संलग्न करें)
 4. पिता/पति का नाम :-
 5. स्थायी पता (अनिवार्य):-
 6. पत्र व्यवहार का पता (अनिवार्य):-
 7. दूरभाष संख्या (अनिवार्य) :-
 8. जी.एस.टी. संख्या (निविदा शर्त सं0-7 के अनुरूप) :-
 9. जमा अर्नेस्ट मनी विवरण-बैंक का नाम
ड्राफ्ट संख्या धनराशि दिनांक
नकद जमा धनराशि-..... रसीद संख्या दिनांक
 10. निविदादाता को निविदा फार्म के साथ आई0डी0प्रूफ के रूप में (डी0एल0/आधार कार्ड आदि) में से किसी एक की छायाप्रति संलग्न करें।
 11. अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न (हाँ/नहीं)-.....
 12. वाहन के प्रपत्रों की वैधता विवरण (निविदा शर्त सं0-5 के अनुरूप) -
(क) आर0सी0 वैधता तिथि -
(ख) परमिट वैधता तिथि -
(ग) फिटनेस वैधता तिथि -
(घ) रोड टैक्स वैधता तिथि -
(ङ) बीमा वैधता तिथि -
(च) प्रदूषण वैधता तिथि -
 - (क) वाहन का प्रकार :-माडॅल वर्ष-.....
 - (ख) वाहन पंजीकरण संख्या :-पंजीकरण तिथि :-
 - (ग) वाहन स्वामी का नाम :-
- संलग्नक**-आवश्यक निर्देश एवं निविदा सम्बंधी मुख्य शर्त।

स्वहस्ताक्षरित
फोटो चस्पा करें

दिनांक

हस्ताक्षर निविदादाता
निविदादाता नाम:-
पता :-
.....
.....
मोबाईल न0-.....

निविदा फार्म – आंचल अमृत योजना हेतु वाहन
वित्तीय बिड (02)



फार्म संख्या-

किराया वाहन हेतु



हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, शिकारपुर (हरिद्वार)

(निविदा फार्म के समस्त क्रमांको की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ-साफ अंकित करें।)

1. मार्ग का नाम :-
2. निविदादाता का नाम :-
3. पिता/पति का नाम :-
4. स्थायी पता (अनिवार्य):-
5. पत्र व्यवहार का पता (अनिवार्य):-
6. वाहन के किराये की दरें प्रति कि०मी० में (अंको व शब्दों में):-
अ- प्रति कि०मी० दर अंकों में :- मु०
- ब- प्रति कि०मी० दर शब्दों में :- मु०.....

दिनांक

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाता का नाम:-

पता :-

मोबाईल न०-

हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, शिकारपुर (हरिद्वार)

आंचल अमृत योजना हेतु वाहन निविदा की शर्तें एवं आव"यक निर्दे"न

1. एक निविदा प्रपत्र केवल एक मार्ग की निविदा हेतु मान्य होगा।
2. निविदायें, प्रधान प्रबन्धक, हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, शिकारपुर (हरिद्वार) के नाम से निविदा पेट्टी में दिनांक 28-09-2024 को निविदायें अपराहन 01:00 बजे तक प्राप्त की जा सकेंगीं जो कि उपरोक्तानुसार अपराहन 01:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख दुग्ध संघ मुख्यालय कार्यालय शिकारपुर (हरिद्वार) में खोली जायेगीं। रजिस्टर्ड डाक/कोरियर के माध्यम से उपरोक्त सम्बन्धित समस्त मार्गों की निविदायें दिनांक 28-09-2024 को दोपहर 01:00 बजे तक दुग्ध संघ मुख्यालय शिकारपुर (हरिद्वार) के पते पर ही स्वीकार की जायेगी। डाक/कोरियर वितरण में विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. लिफाफे के बाहर स्पष्ट शब्दों में आंचल अमृत योजना हेतु वाहन निविदा तथा निविदादाता का नाम व पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये। निविदा की शर्तें एवं आव"यक निर्दे"न के अन्त में स्थायी पता अंकन करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा फार्म में निविदादाता को स्वप्रमाणित रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ लगाना होगा तथा एक फोटोयुक्त पहचान पत्र (डी०एल०/आधार कार्ड आदि) निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को पैन कार्ड की छायाप्रति एक माह के अन्दर उपलब्ध करानी होगी अन्यथा नियमानुसार टैक्स की कटौती बिलों से कर ली जायेगी।
5. वाहन का मॉडल 2020 से कम नहीं होना चाहिये।
6. निविदा में पावर आफ एटोर्नी एवं वाहन से संबंधित कम्पनियों का कोटे"न (AF) मान्य नहीं होगी।
7. निविदादाता को दुग्ध संघ हरिद्वार में किसी भी अनुभाग में बकायेदार नहीं होना चाहिए।
8. समान दरें प्राप्त होने पर नये मॉडल के वाहन को वरीयता दी जायेगी।
9. निविदा फार्म के साथ वाहन की आर०सी०, परमिट एवं समस्त सही (वैध) प्रपत्र साथ लगाया जाना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृत होने के एक सप्ताह के भीतर समस्त वैध प्रपत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति निविदा कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तद्उपरान्त ही कार्यादे"न निर्गत किया जायेगा।
10. वाहन निविदादाता के नाम पर पंजीकृत होना चाहिये। अन्य किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र/"पथ पत्र/विक्रय पत्र/कोटे"न आदि मान्य नहीं होंगे।
11. संस्था के विपणन अनुभाग के पूर्व/वर्तमान परिवहनकताओं को निविदा प्रपत्र के साथ अदेयता प्रमाण-पत्र प्रभारी (वित्त), हरिद्वार दुग्ध संघ से प्राप्त कर संलग्न करना होगा, अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न न होने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. वाहन की बाडी ऊपर तक होनी चाहिये जिसमें न्यूनतम 200 पेट्टी आंचल अमृत चूर्ण (मात्रा 10 कि०ग्रा० प्रति पेट्टी) की परिवहन की जा सके। निविदादाता को आंचल अमृत चूर्ण संस्था के लेकर जनपद के विभिन्न आंगनबाडी केन्द्रों एवं प्राथमिक विधालयों में ससमस सुरक्षित पहुचाना होगा।
13. निविदादाता को जनपद के विभिन्न आंगनबाडी केन्द्रों एवं प्राथमिक विधालयों में ससमस सुरक्षित आंचल अमृत चूर्ण पहुचाने के उपरान्त आंगनबाडी केन्द्रों एवं प्राथमिक विधालयों से प्राप्ति रसीद प्राप्त कर अनिवार्यरूप से तद्दिनांक को ही प्रभारी (आंचल अमृत योजना)/प्रभारी (स्टोर), दुग्ध संघ हरिद्वार को उपलब्ध करानी होगी।
14. निविदादाता को अपने वाहन को संस्था द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार दुग्धशाला में लगानी होगी तथा समय सारिणी के अनुसार ही वाहन लोड करवाकर जनपद के विभिन्न आंगनबाडी केन्द्रों एवं प्राथमिक विधालयों में ससमस सुरक्षित आंचल अमृत चूर्ण की आपूर्ति करनी होगी।
15. यू०सी०डी०एफ० की वैबसाईड www.ucdfaachal.org से निविदा डाउनलोड किये जाने पर, निविदा फार्म शुल्क के रूप में रु० 1000.00 की र"ीद/ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
16. एक धरोहर रा"ी (अर्नेस्ट मनी) से एक ही निविदा भरी जायेगी। एक धरोहर रा"ी से एक से अधिक निविदाये भरी जाने पर समस्त सम्बन्धित निविदाये स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा धरोहर रा"ी को जब्त कर लिया जायेगा।

17. यह कि दुग्ध पदार्थों को धूप से बचाने हेतु निविदादाता को अपनी वाहन में फाईबर/मोटे कपड़े का तिरपाल लगाना होगा। वाहन में तिरपाल न लगाये जाने पर मु0 100.00 (एक सौ) रूपया प्रतिदिन का आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा।
18. प्रत्येक वाहन के लिये चालक/परिचालक की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी तथा इनका पूर्ण विवरण संस्था में देना होगा।
19. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त अनुबन्ध की औपचारिकतायें पूर्ण कराये जाने हेतु पत्र जारी किया जायेगा। निविदादाता को जमानत धनराशि संघ कोषागार में नगद या ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी होगी। निविदा स्वीकृत कर लिये जाने पर निविदादाता को संस्था के साथ मु0 100.00 (एक सौ) रूपये के नान-जूडिशियल स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध करना होगा।
20. निविदा फार्म में ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिये। यदि विशेष परिस्थितियों में ओवर राईटिंग करना आवश्यक हो तो पूर्व में लिखी गयी लिपि पर कटिंग कर नीचे लिखकर हस्ताक्षर किये जाये। दरों में किसी प्रकार की ओवरराईटिंग मान्य नहीं होगी।
21. अनुबंध की अवधि 01 (एक) वर्ष के लिए होगी। अनुबन्ध समाप्ति तिथि उपरांत संस्था एवं निविदादाता की आपसी सहमति से अनुबन्ध की अवधि छः-छः माह हेतु दो बार (अधिकतम 01 वर्ष) बढ़ायी जा सकती है।
22. निविदादाता द्वारा अपने स्टाफ (चालक एवं परिचालक) का ई.पी.एफ. नियमानुसार ई.पी.एफ. कार्यालय में जमा कराना होगा। जिसका कोई भी उत्तरदायित्व संस्था का नहीं होगा।
23. सरकार द्वारा लगाये गये/ लगाये जाने वाले समस्त कर आदि (रोड टैक्स/फिटनेस/बीमा/परमिट/जी0एस0टी0 आदि) का भुगतान किये जाने हेतु निविदादाता द्वारा स्वयं वैधानिक रूप से स्वयं उत्तरदायी होगा, इसके लिये संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा सरकार द्वारा जारी किए गए परिवहन से सम्बंधित आदेशों का परिपालन करने हेतु निविदादाता बाध्य होंगे।
24. मार्गों पर लगने वाले कर आदि का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा।
25. निविदादाता द्वारा निविदा में उल्लेख किए गये वाहन का ही संचालन करना होगा। विशेष परिस्थितियों में सर्विसिंग, मरम्मत आदि कार्यों के कारण यदि दूसरा वाहन भेजा जाना आवश्यक होता है तो इसकी स्वीकृति प्रधान प्रबन्धक से लेनी होगी। जिसकी अवधि अधिकतम एक सप्ताह हो सकती है।
26. संस्था द्वारा निविदादाता को ऑचल दुग्ध चूर्ण निर्धारित केन्द्रों तक ससमय परिवहन करना होगा।
27. निविदा स्वीकार होने के उपरान्त निविदादाता को इस संस्था का नाम मात्र का सदस्य बनना होगा।
28. वाहन को संस्था के विपणन मार्गों में कही भी लगाया जा सकता है। संस्था को वाहन की आवश्यकता नहीं होने पर बिना कारण बताये 15 दिन के नोटिस पर वाहन को हटाया जा सकता है।
29. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरांत मु0 30,00.00 (तीस हजार) जमानत धनराशि संघ कोषागार में नकद या ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी होगी, जिस पर संस्था द्वारा ब्याज देय नहीं होगा।
30. वाहन प्रपत्रों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, गलत सूचना सिद्ध होने पर निविदा निरस्त व अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए संस्था की किसी भी प्रकार की निविदा/कोटेशन में प्रतिभाग करने से प्रतिबंधित किया जायेगा।
31. निविदादाता सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने जैसे-वाहन की दुलान क्षमता अनुसार वाहन का संचालन, वाहन के प्रपत्रों के [नवीनीकरण/बीमा](#) आदि हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
32. यह कि संस्था में कार्यरत कर्मचारी अथवा उसके आश्रित की निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी। जिसे उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के नियम संख्या 2(ग) के अनुसार किसी कर्मचारी के "परिवार का सदस्य" को निम्नवत् परिभाषित किया गया है-

नियम संख्या 2(ग) :-

(1) ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी, उसका लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की चाहे वह उनके साथ रहता/रहती हो अथवा नहीं, और किसी महिला सरकारी कर्मचारी के सम्बंध में, उसके साथ रहने वाला तथा उस पर आश्रित उसका पति, तथा

(2) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो रक्त सम्बंध से या विवाह द्वारा उक्त सरकारी कर्मचारी या सम्बंधी हो या ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी का या उसके पति का सम्बंधी हो और जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी पत्नी या पति सम्मिलित नहीं होगी/सम्मिलित नहीं होगा, जो सरकारी कर्मचारी से विधितः पृथक की गयी हो/पृथक किया गया हो या ऐसा लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित

सौतेली लड़की सम्मिलित नहीं होगा, या/सम्मिलित नहीं होगी जो आगे के लिए, किसी भी प्रकार उस पर आश्रित नहीं है या जिसकी अभिरक्षा (Custody) से सरकारी कर्मचारी को, विधि द्वारा वंचित कर दिया गया हो।

33. निविदा में तकनीकी बोली (Technical Bid) की शर्तों को पूर्ण करने के उपरांत ही (वित्तीय बोली) Financial Bid का लिफाफा खोला जायेगा।
34. निविदादाता को FSSAI Act से सम्बंधित नियम और विनियमन का नियमानुसार परिपालन करना होगा।
35. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के एक माह के अंदर संस्था को FSSAI व GST का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना होगा।
36. संस्था द्वारा निविदादाता के कार्यो का समय-समय में कार्य का मूल्यांकन (इवेलुएशन) किया जायेगा। यदि निविदादाता का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो निविदादाता की निविदा को बर्खास्त/समाप्त करने या कॉन्ट्रैक्ट रोकने करने का अधिकार प्रधान प्रबन्धक, हरिद्वार दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
37. निविदादाता को प्रतिदिन माल ले जाते समय कन्साइनमेंट नोट डेरी में देना होगा और प्रतिदिन अपनी अकाउंट सेल माल वापसी करते समय डेरी में देना होगा।
38. निविदा स्वीकृत होने के उपरांत निविदादाता को अनुबंधित वाहन पर दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु जी0आई0 शीट पर फ्लैक्सी संस्था द्वारा लगायी जायेगी, जिसका वास्तविक भुगतान परिवहनकर्ता से दो किशतों में काटा जायेगा, जो अनुबंधकर्ता को मान्य होगा।
39. यह कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) में रजिस्टर्ड फर्मों को उत्तराखण्ड शासन की कय वरीयता नीति 2019-शासनादेश सं0 1542/VII-3-19/143-उद्योग/2003 दिनांक 20 अगस्त, 2019 की शर्तों के अनुरूप निविदा में छूट प्रदान की जायेगी। पंजीकृत फर्म/निविदादाता को तत्सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराना होगा।
40. निविदा में तकनीकी बिड की शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त ही वित्तीय बिड का लिफाफा खोला जायेगा। यह कि निविदा टू-बिड सिस्टम के आधार पर सम्पन्न की जायेगी, निविदादाता को एक लिफाफे में तकनीकी बिड रखी जानी है उसमें तकनीकी बिड लिखा जाये तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बिड रखकर उस लिफाफे में ऊपर वित्तीय बिड लिखा जाये एवं दोनों लिफाफों को अलग-अलग बन्द कर एक बड़े लिफाफे में पुनः बन्द कर निविदा देनी होगी।
41. एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रधान प्रबन्धक, हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 शिकारपुर (हरिद्वार) के पास सुरक्षित होगा।
42. निविदा स्वीकृत होने के उपरांत निविदादाता को वाहन में अनिवार्यरूप से अच्छी गुणवत्ता का कैमरा वाहन में लगाना होगा। यदि निविदादाता द्वारा कैमरा नहीं लगाया जाता है तो संस्था द्वारा वाहन में कैमरा लगाया जायेगा जिस पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति निविदादाता के परिवहन बिल से कर ली जायेगी।
43. यदि वाहन चालक/निविदादाता, दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी करते हुये पकड़ा जाता है तो जिस तिथि से वाहन संस्था की सेवा में आया है उस तिथि से चोरी में पकड़े जाने की तिथि तक चोरी किये गये दूध एवं दुग्ध पदार्थ की धनराशि की वसूली एवं जमानत धनराशि जब्त करते हुये वाहन संस्था की सेवा से ब्लैक लिस्ट करते हुये पृथक कर दिया जायेगा।
44. निविदादाता द्वारा आंचल दुग्ध चूर्ण निर्धारित केन्द्रों तक उनकी मांग के अनुसार नहीं पहुंचाया जाता है तो निविदादाता पर पैनाल्टी लगायी जा सकती है या वाहन की जमानत धनराशि जब्त करते हुये वाहन संस्था की सेवा से ब्लैक लिस्ट करते हुये पृथक किया जा सकता है।
45. पूर्व में जो वाहन स्वामी एवं वाहन संख्या ब्लैक लिस्ट किये गये हैं उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। वर्तमान एवं पूर्व में संस्था की सेवा में कार्यरत वाहन स्वामी/वाहन संख्या को संस्था के उस अनुभाग से संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
46. निविदादाताओं को निविदा स्वीकृति होने के उपरान्त 15 दिवस के भीतर बैंक खाता न0 उपलब्ध करना अनिवार्य होगा, किसी भी निविदादाता को नगद भुगतान देय नहीं होगा।
47. निविदा में तकनीकी बोली (Technical Bid) की शर्तों को पूर्ण करने के उपरांत ही (वित्तीय बोली) Financial Bid का लिफाफा खोला जायेगा।

48. एक या समस्त निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार बिना कारण बताये संस्था के प्रधान प्रबन्धक, हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, शिकारपुर (हरिद्वार) के पास सुरक्षित होगा।
49. किसी भी प्रकार के विवाद में निबन्धक/निदेशक, दुग्ध सहकारी समितियाँ, डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) का निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।

नोट— उपरोक्तानुसार कम संख्या 01 से 49 तक की भर्तों पढकर एवं समझकर सहमत होने पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

निविदादाता की घोषणा

विपणन अनुभाग की प्रकाशित निविदा सूचना के सन्दर्भ में मेरे द्वारा निविदा फार्म के साथ संलग्न आवश्यक निर्देशों एवं शर्तों (सम्पूर्ण निविदा फार्म) को भलि-भॉति पढ़ लिया गया है। मैं निविदा की शर्तों एवं निर्देशों (क्रमांक 01 से 49 तक) के अनुसार अपना वाहन **हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, शिकारपुर (हरिद्वार)** में लगाने तथा अनुबन्ध करने के लिये सहमत हूँ।

उपयुक्त प्रविष्टियाँ मैंने स्वयं भरी/भरवाई हैं, और मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सही है। यदि कोई भी सूचना/सूचनायें गलत पायी जाती हैं, जो संस्था को निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम निविदादाता

पूरा पता:—

.....

.....

.....

मोबाईल नम्बर—.....

हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, शिकारपुर (हरिद्वार)
आंचल अमृत योजना हेतु वाहन की आव०यकता

क०सं०	कार्य क्षेत्र	वाहन का प्रकार
1	समस्त जनपद	पिकअप/समकक्ष

हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, शिकारपुर (हरिद्वार)
संस्था द्वारा डीजल चार्ज निम्नानुसार देय होगा

क०सं०	वाहन का प्रकार	डीजल प्रति लीटर
1	पिकअप/समकक्ष	10 किमी० पर 01 लीटर डीजल